भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4157
(19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सड़क निर्माण के लिए मानदंड

4157. श्री राजकुमार रोत:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए अपनाए गए मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दस वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बांसवाड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के डूंगरपुर क्षेत्र में कितनी सड़कों का निर्माण किया गया है;

(ग) क्या सरकार का बांसवाड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पहले से निर्मित सड़कों को सुधारने और नई सड़कों का निर्माण करने का विचार है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) विगत एक वर्ष के दौरान राजस्थान से उक्त राज्य में सड़कों के निर्माण हेतु जिला-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000 से कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि जनगणना 2001 के अनुसार मैदानी इलाकों में 500+, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 250+, विशेष श्रेणी के क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची V, पिछड़े जिले, मरूस्थलीय क्षेत्र) में 250+ और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई) जिलों में 100+ आबादी वाली सड़कों से न जुड़ी पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण संपर्क प्रदान किया जा सके। नए घटक पीएमजीएसवाई -IV के लिए जनसंख्या मानदंड जनगणना 2011 के अनुसार है। पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों का निर्माण ग्रामीण विकास मंत्रालय की ग्रामीण सड़क विनिर्दिष्टियों , भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के ग्रामीण सड़क मैनुअल (आईआरसी: एसपी:20), आईआरसी: एसपी:72 तथा जहां आवश्यक हो , हिल रोड मैनुअल (आईआरसी: एसपी: 48) और अन्य आईआरसी कोड/दिशानिर्देशों के तहत तकनीकी विनिर्दिष्टियों और ज्यामितीय डिजाइन मानकों के अनुसार भी किया जा रहा है।

(ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत , निर्वाचन क्षेत्रवार आँकड़े नहीं रखे जाते हैं , तथापि इस मंत्रालय में जिलावार प्रगति रिपोर्ट रखी जा रही है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में प्रगति इस प्रकार है:

ज़िला	कुल स्वीकृत (लंबाई किलोमीटर में)	कुल पूर्ण (लंबाई किलोमीटर में)	स्वीकृत पुल	निर्मित पुल

डूंगरपुर	3,160.445	3,032.161	2	1
बांसवाड़ा	2,961.175	2,931.225	3	3

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जिलावार विस्तृत प्रगति कार्यक्रम की वेबसाइट https://omms.nic.in=>progress monitoring=>Monthly Progress Reports (MPR)=>District Brief पर देखी जा सकती है।

(ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से न जुड़ी बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए की गई थी ; हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से निर्मित सड़कों के उन्नयन की आवश्यकता महसूस की गई , इसलिए राजस्थान राज्य सहित पूरे देश में पीएमजीएसवाई-II और पीएमजीएसवाई -III घटकों के अंतर्गत उन्नयन कार्य शुरू किए गए। पीएमजीएसवाई-II और III के अंतर्गत राजस्थान राज्य में प्रगति की स्थिति इस प्रकार है:

घटक	स्वीकृत			निर्मित			शेष		
	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	एलएसबी	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	एलएसबी	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	एलएसबी
पीएमजीएसवाई-II	401	3,464.26	6	401	3,468.63	6	0	0	0
पीएमजीएसवाई-III	918	8,658.34	41	893	893	893	25	75.27	14
कुल	**1319**	**12,122.6**	**47**	**1294**	**4,361.63**	**899**	**25**	**75.27**	**14**

इसके अलावा, पीएमजीएसवाई- IV को बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र जिले सहित देशभर में सड़कों से नहीं जुड़ी 25,000 पात्र बसावटों को नए सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।

(घ) राज्य को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I, II और III के अंतर्गत उसकी पूरी पात्रता स्वीकृत कर दी गई है। वर्ष 2024-25 के दौरान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के अंतर्गत 58.31 किलोमीटर लंबाई के 5 सड़क कार्यों को मंजूरी दी गई, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रमांक	**जिले का नाम**	**स्वीकृत सड़कों की संख्या**	**स्वीकृत सड़क की लंबाई (कि. मी. में)**
1	बीकानेर	1	15.00
2	चितौड़गढ़	1	11.70
3	उदयपुर	1	10.00
4	कोटा	2	21.61
कुल		**5**	**58.31**

इसके अलावा , राजस्थान राज्य ने पीएमजीएसवाई -IV के लिए सड़कों से नहीं जुड़ी बसावटों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। यह मंत्रालय पीएमजीएसवाई IV के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए राज्य के साथ पूरे समन्वय से काम कर रहा है।

****